न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 728/2017

1–भोला राम पुत्र गणपत

2–नाथू लाल पुत्र गणपत

3–बाबू लाल पुत्र गणपत

समस्त जाति बागडा ब्राहमण, निवहासी–ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलान्टस–

बनाम

1. प्रभाती देवी पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि श्री रामसहाय शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।

–––––रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर
4. बिरदा राम पुत्र प्रभात
5. काना राम पुत्र प्रभात
6. जगदीश पुत्र प्रभात समस्त जाट नि0 बा0ब्राहमण नि0 बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर
7. लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर जरिये मंत्री श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा कार्यालय हनुमान टॉवर गणगौरी बाजार, ब्रहमपुरी खुर्रा, जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री घीसा लाल कुमावत अपीलांटस की ओर से।

2– श्री भगवान सहाय शर्मा रेस्पोडेंट सख्या 01 की ओर से।

3–श्री गोगराज चौधरी रेसपोडेन्ट सख्या 7 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–14–02–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्याययालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर दिनांक 30–06–2017 सपठित आदेश दिनांक 06–09–2012 एवं 18–09–2012 व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 166/2012 उनवानी प्रभाती देवी बनाम भोला राम व अन्य प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 01 प्रभाती देवी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सख्या 02 लगायत 07 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 206, 222 से 225, 234/1305, 207 से 249, 286, 431, 433 से 444, 446/1306,447 से 453, 697 से 703 कुल किता 47 कुल रकबा 10.55 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 857,861, 862,863,865 कुल किता 05 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288/1301, 747,748,752,753,755/1302,757 कुल किता 08 कुल रकबा 1.72 हैक्टेयर स्थित ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर के विषय में इस्तकरार हक, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसका इन्कारी का जवाब समस्त तथ्यों का खुलासा करते हुये अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया व दस्तावेजात पेश किये। पत्रावली पक्षकारान की बहस हेतु अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन थी, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 30–06–2017 को राजस्व कैम्प हरमाडा में रखकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06–09–2012 एवं दिनांक 18–09–2012 को ताफैसला वाद स्थाई कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–06–2017 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि आदेश अधीन अपील सही तथ्यों रिपोर्ट एवं न्याय शास्त्र के सिद्धातों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी प्रावधानों प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन पर तनिक भी गौर व विवेचन न कर सरसरी तौर पर ही रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को स्थाई कर भयंकर कानूनी गलती की है।वादग्रस्त आराजीयात के अपीलान्ट रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा मकान व पशुओं के बाडे व बोरिंग बनाकर उसमें निवास करते आ रहे है।जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज कर रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के हक में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को स्थाई कर भयंकर कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की प्लीडिग्स प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात पर तनिक भी गौर व विवेचन न कर भयंकर कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने जवाब दावा व जवाब प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया था तथा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली वास्ते बहस अंतिम विचाराधीन थी जिसको नजरअन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को न्याय आपके द्वार कैम्प हरमाडा में दिनांक 30–06–2017 को रखी तथा

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये उनकी अनुस्थिति में उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जो कि अंतरिम आदेश था उसे ही कन्फर्म फरमा कर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण कर दिया गया जो कि विधिक प्रकियाओं का मखौल उडाते हुये तथा बिना न्यायालय द्वारा माईण्ड एप्लाई किये आदेश अधीन अपील पारित की है जो कतई अनुचित व अवैध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसलिये आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्यक विवेचना पर आधारित न होने व कानूनी सिद्धातों के विपरीत होने व अपीलान्ट को सुनवाई किये बगैर एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध पारित किया गया है जो कतई अनुचित व अवैध है। अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीन अपील दिनांक 30–06–2017 सपठित आदेश दिनांक 06–09–2012 एवं दिनांक 18–09–2012 निरस्त किया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।उभय पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि पत्रावली को दिनांक 30–06–2017 को राजस्व कैम्प हरमाडा में रखे जाने बाबत कोई सुचना अपीलान्ट को नहीं दी गई तथा उक्त कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटकों पर कोई विवेचन नहीं किया गया है।अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उन्हें बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है।अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्त कथन कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया प्रभाती देवी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थीया के पिता रघुनाथ थे जिनकी मृत्यु सन 1983 में हो गयी थी।हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के हक रघुनाथ की मृत्यु के उपरान्त उत्पन्न हो गये थे परन्तु प्रार्थीया के चाचा गणपत द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने नाम से करवा ली गई तथा कुछ भूमि का विक्रय कर दिया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने वाद में उक्त इन्द्राज एवं हस्तान्तरण को अवैध घोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया तथा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ता–दौराने वाद भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अनुतोष चाहा गया।अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब दावे में तथा एकअन्य वाद सख्या 150/2012 बिरधा बनाम भोला में दिये गये जवाब दावे में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट प्रभाती देवी रघुनाथ की पुत्री है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–09–2012 को प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष में मानते हुए वादग्रस्त भूमि के बैचान नही किये जाने बाबतअन्तरिम आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 18–09–2012 को वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अंतरिम आदेश पारित किया गया। अप्रार्थीयान अपीलान्टस सख्या 01 लगायत 03 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया है कि तथा दिनांक 30–06–2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मय जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करने के पश्चात उपर्युक्त दोनो आदेश दिनांक 18–09–2012 व 06–09–2012 को कन्फर्म किया गया है।अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटक प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार रघुनाथ की जाईन्दा पुत्री होना स्वीकृत तथ्य है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल होने से अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने योग्य है।अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 07 द्वारा अपील का समर्थन किया गया।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि वे वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उन्हें सुने बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है साथ ही आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनो घटकों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है। इस पर अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायालय द्वारा उक्त जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प ग्राम हरमाडा पर पत्रावली को नियमित पेशी के दौरान ही नियत रखा गया है। इस हेतु अलग से नोटिस जारी किये जाने की कोई आवश्यकता नही है।इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा ली गई यह आपत्ति कि उन्हें सुने बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उचित नही है। अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना–पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट प्रभाती देवी स्व0 रघुनाथ की पुत्री है तथा उसकी सहमति से वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण उनके पिता गणपत के नाम से दर्ज किया गया है। अपीलान्टस द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में रघुनाथ द्वारा अपीलान्टस के पिता गणपत के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई गई थी तथा उसके आधार पर वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

भूमि अपीलान्टस के पिता के नाम दर्ज हुई है। उक्त जवाब प्रार्थना–पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट प्रभाती देवी रघुनाथ की जाईन्दा पुत्री है तथा वादग्रस्त भूमि पूर्व में रघुनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, इससे प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। जहॉ तक प्रार्थीया के पिता द्वारा वसीयत करवाये जाने एवं प्रार्थीया द्वारा सहमति दिये जाने का प्रश्न है, इनका निस्तारण वाद की नियमित सुनवाई के उपरान्त संभव हो सकेगा परन्तु यदितादौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बैचान अथवा हस्तान्तरण आदि किया जाता है तथा मौके पर निर्माण कार्य आदि किये जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होना संभावित है अतः अपूर्णीय क्षति का घटक भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती से सबंधित है इसलिये वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयाके पक्ष में है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनो घटक प्रार्थीया/रेस्पोडेन्टस के पक्ष में होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई सारभूत विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतःअपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2017 सपठित आदेश दिनांक 06–09–2012 व 18–09–2012 को यथावत रखा जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर